

है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल विश्वास की बात कही थी, लेकिन जिस प्रकार से विश्वास की बात कही थी...

वित्त मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): आप उस समय यहाँ थे?

श्री दिग्विजय सिंह: बिल्कुल यही थे, सुना भी था।

श्री सभापति: आप issue पर आइए।

श्री दिग्विजय सिंह: और जब हमारे मन में अविश्वास पैदा हुआ, तब हम छोड़कर गए। आज उसी अविश्वास की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि अविश्वास होने के कारण पॉलिसी होल्डर्स में कमी आ रही है। आज 33 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स से घटकर 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स रह गए हैं। और यह कब हुआ - 2014 से 2019 के बीच में। पॉलिसी एजेंट्स 13 लाख से घटकर 11 लाख रह गए हैं। सभापति महोदय, वर्ष 2014 से पहले endowment पॉलिसी होल्डर्स को बोनस जहाँ 78 rupees per thousand मिलता था, वह घटकर 51 rupees per thousand हो गया। लाइफ पॉलिसी होल्डर्स का बोनस जहाँ 102 रुपए प्रति हजार था, वह घटकर 72 रुपए प्रति हजार हो गया। यही नहीं है, जो लोन लेते थे, उसका इन्टरैस्ट रेट भी, माननीय वित्त मंत्री जी, आपने नौ प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े दस परसेंट कर दिया। यही नहीं, अगर किसी को अपना पॉलिसी प्रीमियम देने में देरी हो जाती है, तो वहाँ जीएसटी लगने लगता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 11 लाख करोड़ का जो रिजर्व है, उसमें...

श्री सभापति: समय हो गया है।

SHRIDIGVIJAYASINGH: Sir, what is this?

MR. CHAIRMAN: Your time is over. You have to conclude.

SHRIDIGVIJAYASINGH: Sir, I was interrupted by the Minister.

MR. CHAIRMAN: You unnecessarily provoked the Minister. What can she do?

SHRIDIGVIJAYASINGH: I did not provoke the Minister.

MR. CHAIRMAN: Did you not take the Minister's name? Did you not mention the Minister? Digvijaya Singhji, please conclude, whatever you want to say. You have made some good points. समय पालन को नियंत्रित करने का काम हमारा दायित्व है।

SHRIDIGVIJAYASINGH: Okay, Sir.

Need to hold direct elections in Regional Councils and the District Panchayats

डा. अशोक वाजपेयी (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि स्थानीय निकाय के चुनावों में, चाहे क्षेत्र पंचायत के चुनाव हों या जिला पंचायत के हों,

[डा. अशोक बाजपेयी]

इन चुनावों को पिछले कुछ वर्षों से indirect चुनाव के रूप में संचालित किया जा रहा है। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि indirect elections में लोकतंत्र की जो शुद्धता है, पवित्रता है, वह तार-तार होती है। महोदय, मनी पावर, मसल पावर, मैनपावर, धमकाकर, पैसे का का लालच देकर delegates को इकट्ठा कर लिया जाता है और उनसे मनचाहे ढंग से वोट डलवा लिए जाते हैं। लोकतंत्र की भावना है कि स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधित्व हो। जो गाँधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, डा. राममनोहर लोहिया ने four pillars state के बारे में कहा था कि गाँव की अपनी स्थानीय सरकार हो, क्षेत्र की स्थानीय सरकार हो, जो क्षेत्रीय मामलों में वहाँ के स्थानीय कामकाज का संचालन करें, यह तब ही संभव हो सकता है, जब जनता से सीधे प्रतिनिधि चुने जाएं। संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 संशोधित हुए। मान्यवर, इन 73वें और 74वें संशोधन को 32 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है। अब इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि संविधान में संशोधन करके क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हों। अगर हम विश्वास से चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जड़ों में मजबूत हो, तो इनके indirect इलेक्शन के बजाए सीधे जनता द्वारा इलेक्शन कराए जाएं। इसी संशोधन के अंतर्गत तमाम नगर निगमों, नगरपालिकाओं के चुनाव सीधे जनता द्वारा होते हैं। नगर निगमों की constituency बहुत बड़ी constituency होती है। वे चुनाव संचालित होते हैं और पाँच साल तक नगर निगम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करते हैं, लेकिन जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में indirect चुनाव होने के कारण उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रहती। एक बार delegates से वोट लेने के बाद उनसे भी पूछा नहीं जाता है। अगर क्षेत्र पंचायतों के चुनाव सीधे जनता से हों, तो चुनाव हुआ प्रतिनिधि क्षेत्रीय जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जैसी कि हमारे स्थानीय निकाय चुनावों की मंशा है। मैं चाहता हूँ कि यह बड़ा गंभीर विषय है, इस पर पूरा सदन विचार करे और सरकार से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आज संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 को पुनः संशोधित किया जाए और संशोधित करने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों को सीधे जनता के द्वारा कराने का काम किया जाए। तभी, हम जो यह चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और हमारी स्थानीय सरकारें ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करें, वह संभव होगा - यह मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती सम्पतिया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री लाल सिंह वड़ोदिया (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री गोपाल नारायण सिंह (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

† محترمہ کہکشاں پروین (بہار): مہودے، میں بھی خود کو اس موضوع کے ساتھ سمبڈ کرتی ہوں۔

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

महंत शम्भुप्रसादजी तुदिया (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री के. भावानंद सिंह (मणिपुर): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री संभाजी छत्रपति (नाम-निर्देशित): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.) (Haryana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Development of a new fishing harbour in Kanyakumari

SHRI A. VIJAYAKUMAR (Tamil Nadu): Sir, my submission is regarding the development of new fishing harbour in Kanniyakumari district of Tamil Nadu. Approximately 2 lakh fishermen are living in the Kanniyakumari district having 72 kilometers long sea shore. It is having nearly 1850 vessels. There are four fishing harbours in Kanniyakumari District. Sir,

†Transliteration in Urdu script.